OFFICE OF THE REGISTRAR, UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL IN THE MATTER OF LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE), ROOM NO. 504A, FIFTH FLOOR, 'S' BLOCK, DELHI HIGH COURT, SHER SHAH ROAD, NEW DELHI-110 003

****

RE: Notification No.S.O.1983(E) dated 14th May, 2024 issued by the Central Government under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 declaring the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) as 'Unlawful Association'.

To

LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE)

WHEREAS the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as "the Act") has declared the **Liberation Tigers of Tamil Eelam** as unlawful vide Notification No.S.O.1983(E) dated 14th May, 2024 [published in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3, Sub-section (ii)];

AND WHEREAS vide Gazette Notification No. S.O.2196(E) dated 5th June, 2024 [published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(ii)] in exercise of powers under Section 5(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 the Central Government has constituted the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal comprising Hon'ble Ms. Justice Manmeet Pritam Singh Arora, Judge, Delhi High Court, for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the said **Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)** as an unlawful association as required by sub-section (1) of Section 4 of the Act.

NOW THEREFORE, Notice is hereby given to you under sub-section (2) of Section 4 of the Act to show cause in writing within 30 days from the date of service of this Notice why your association should not be declared as unlawful and why order should not be made confirming the declaration made in the above-mentioned Notification.

The objections/reply/written statement may be filed/delivered within the statutory period of 30 days from the date of service to the undersigned at this office in Room No.504A, Fifth Floor, 'S' Block, Delhi High Court, Sher Shah Road, New Delhi, in addition can be sent through email at **tribunalupa2024@gmail.com**. In case objections/reply/written statements are in regional language, their true English Translation be also attached.

You are required to appear before the Tribunal on 23rd July, 2024 at 4.30 PM in Delhi High Court, Shershah Road, New Delhi. Appearance can also be caused through a duly authorized and instructed Counsel/Advocate.

GIVEN under my hand and the seal of the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, High Court of Delhi, Sher Shah Road, New Delhi, this 14th Day of June, 2024.

(VINAL KAPOOR)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052024-254187
CG-DL-E-14052024-254187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1890] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2024/वैशाख 24, 1946
No. 1890] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2024/VAISAKHA 24, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2024

का.आ. 1983(अ).—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात एलटीटीई कहा गया है) श्रीलंका स्थित एक संगम है, किन्तु इसके समर्थक, इससे सहानुभूति रखने वाले तथा कार्यकर्ता भारत के राज्य क्षेत्र में हैं;

और, सभी तमिलों के लिए एक पृथक राष्ट्र का (तमिल ईलम)एलटीटीई का उद्देश्य भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, और जिसका अर्थ भारतीय राज्य क्षेत्र के एक भाग को भारत संघ से अध्यर्पण और उसे विलग करना है, और इस प्रकार यह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के दायरे में आता है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1730(अ), तारीख 14 मई, 2019 द्वारा एक विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया था।

और, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित किया गया था, यह पता लगाने के पश्चात् कि एलटीटीई को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण था, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4233 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2019 द्वारा इस प्रकार की गई घोषणा की पुष्टि की थी;

और, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिबंध की घोषणा 13 मई, 2024 को समाप्त होती है;

और, केंद्रीय सरकार की राय है कि एलटीटीई अभी भी उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित पर आधारित है, अर्थात :

i. एलटीटीई ने, श्रीलंका में मई, 2009 में अपनी सैन्य हार के पश्चात भी 'ईलम' की संकल्पना का परित्याग नहीं किया है और 'ईलम' उद्देशय के लिए, छुपे तौर पर निधियों को उगाहने और प्रचार क्रियाकलापों में कार्यरत है और एलटीटीई के शेष नेताओं या काडरों ने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को पुनः समूहबद्ध करने तथा संगठन को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं;

ii. एलटीटीई समर्थक समूह/तत्व पृथकवादी प्रवृत्ति को जनता के मध्य प्रोत्साहित करने में लगे हैं और भारत में और विशिष्टतया तमिलनाडु में, एलटीटीई के समर्थन आधार को बढ़ा रहे हैं, जो अंततोगत्वा भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता पर प्रबल विघटनकारी प्रभाव डालेगा;

iii. विदेश में रहने वाले एलटीटीई से सहानुभूति रखने वाले, एलटीटीई की हार के लिए भारत सरकार को उत्तरदायी मानते हुए, तमिलों के बीच भारत विरोधी भावनाओं को फैलाना जारी रखे हुए हैं, जिसे यदि नहीं रोका गया तो यह तमिल लोगों के बीच केंद्रीय सरकार और भारत के संविधान के प्रति घृणात्मक भाव पैदा करेंगे ;

iv. प्रतिबंध के लागू होने के बावजूद, एलटीटीई समर्थक संगठन और व्यक्तियों के क्रियाकलाप संज्ञान में आए हैं और ऐसी शक्तियाँ एलटीटीई को अपना समर्थन देने में प्रयासरत हैं;

v. एलटीटीई के नेताओं, सक्रिय कर्ताओं और समर्थकों ने उनके संगठन पर भारत की नीति और उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में राज्य तंत्र द्वारा की गई कार्रवाई का विद्वेषतापूर्वक विरोध किया है;

vi. अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1730 (अ), तारीख 14 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित अंतिम अधिसूचना से एलटीटीई, एलटीटीई समर्थक समूहों या तत्वों के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं, जो कि उपदर्शित करता है कि एलटीटीई और उसके शेष कैडर, अनुयायी और समर्थक, एलटीटीई के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अवैध मादक द्रव्यों, आयुधों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापों में शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि एलटीटीई के पूर्वोक्त क्रियाकलापों, भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ लोक शांति के लिए भी लगातार एक खतरा है और अहितकर है और इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और, केंद्रीय सरकार की यह और राय है कि – जब से एलटीटीई ने:-

(i) अपने विघटनकारी, अलगाववादी और विलगनकारी क्रियाकलापों को जारी किया है, जो कि भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; और

(ii) अपना प्रबल भारत-विरोधी रुख जारी किया है, जिससे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है;

एलटीटीई को तुरंत प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की आवश्यकता है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा के 4अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11034/2/2024-सी टी-II]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

cbc 19101/11/0013/2425